ऑगस्टीन जॉर्ज मासिह, जे. के समक्ष

खट्टा सिंह --- याचिकाकर्ता

बनाम

सी.बी.आई. चंडीगढ़ और अन्य ---- प्रतिवादीगण

सीआरआर नंबर 3592 आफ 2017

23 अप्रैल 2018

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—एस. 311—साक्षी को वापस बुलाना—न्यायालय का विवेक—परीक्षण के लिए गवाह को वापस बुलाने का विवेक निर्णय सुनाने से पहले किसी भी समय अदालत द्वारा प्रयोग किया जा सकता है—ऐसा इसलिए है क्योंकि धारा 311 सीआर.पी.सी., 1973 के पहले भाग में 'हो सकता है' शब्द का प्रयोग किया गया है—हालाँकि पहले भाग के तहत विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दूसरा भाग किसी भी व्यक्ति को बुलाने, जांच करने या वापस बुलाने या फिर से जांच करने के लिए न्यायालय पर आदेश देता है और दायित्व डालता है, यदि न्यायालय की राय में, ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य न्यायसंगत निर्णय के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। मामला - जहां आरोपी के खिलाफ कोई सबूत स्वीकार किया जाता है - आरोपी को उस सबूत का खंडन करने का अवसर दिया जाना आवश्यक है।

माना गया कि उपरोक्त धारा को पढ़ने से पता चलेगा कि इसमें दो भाग हैं। पहला भाग मुख्य रूप से अनुज्ञेय है, जो न्यायालय को विवेकाधीन अधिकार देता है जो उसे संहिता के तहत जांच, परीक्षण या अन्य कार्यवाही के किसी भी चरण में अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम बनाता है। यह किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में बुला सकता है, उपस्थिति में किसी भी व्यक्ति की जांच कर सकता है, जिसे गवाह के रूप में भी नहीं बुलाया जा सकता है और पहले से ही जांच की गई किसी भी व्यक्ति को वापस बुला सकता है और दोबारा जांच कर सकता है। इस शक्ति को उस चरण में सेवा में लाया जा सकता है जब पार्टियों ने अपने साक्ष्य पेश करने के बाद उसे बंद कर दिया हो और यहां तक कि जब उन्होंने अपने अंतिम तर्क समाप्त कर लिए हों, जिसका अर्थ है कि अदालत के विवेक का प्रयोग फैसले के निर्णय की घोषणा से पहले किसी भी समय किया जा सकता है।. ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले भाग में इस्तेमाल किया गया शब्द 'हो सकता है' है। हालाँकि, पहले भाग के तहत उस विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दूसरा भाग न्यायालय को किसी भी व्यक्ति को बुलाने, जांच करने या वापस बुलाने या फिर से जांच करने के लिए बाध्य करता है, यदि न्यायालय की राय में, ऐसे व्यक्ति के साक्ष्य हैं मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है लेकिन इस शक्ति का प्रयोग निर्णय की अंतिम

घोषणा से पहले भी किया जाना चाहिए। न्यायालय को जितना अधिक विवेक दिया जाएगा, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते समय न्यायालय को अधिक अनुशासन और सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी और यह क़ानून के प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए।

नवकिरण सिंह, अधिवक्ता याचिकाकर्ता की ओर से

सुमीत गोयल, सीबीआई के सेवानिवृत्त वकील एस.एस.यादव, डीएलए, सीबीआई, चंडीगढ़ के साथ,

एस.के.गर्ग नरवाना, वरिष्ठ वकील, विशाल गर्ग नरवाना, वकील के साथ, प्रतिवादी नंबर 2 के लिए

ए.पी.एस. भिंडर, वकील, प्रतिवादी संख्या 3 और 5 के लिए

रवनीत सिंह जोशी, वकील, प्रतिवादी संख्या 4 के लिए

मोहिंदर सिंह जोशी, वकील, प्रतिवादी नंबर 6 के लिए।

विनोद घई, वरिष्ठ अधिवक्ता, सिमरनदीप एस. संधू, अधिवक्ता के साथ, प्रतिवादी संख्या 7 के लिए

ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, जे.

सीआरएम-36245-2017 केवल अपवादों के अधीन आवेदन की अनुमति है। पर उत्तर दें प्रतिवादी-सीबीआई की ओर से मामला रिकॉर्ड में लिया गया है।

सीआरएम-40212-2017 केवल अपवादों के अधीन आवेदन की अनुमति है। की फाइलिंग अनुलग्नक आर-7/1 से आर-7/22 की प्रमाणित/टाइप की गई प्रतियाँ प्रदान की जाती हैं उसे रिकार्ड में लिया जाता है।

सीआरएम-40373-2017 केवल अपवादों के अधीन आवेदन की अनुमति है। की फाइलिंग अनुलग्नक आर-2/1 से आर-2/2 की प्रमाणित/सच्ची टाइप की गई प्रतियाँ प्रदान की जाती हैं और उसे रिकार्ड में लिया जाता है।

सीआरआर-3592-2017 (ओ एंड एम)

(4) इस आदेश के द्वारा, मैं दो पुनरीक्षण याचिकाओं पर निर्णय करने का प्रस्ताव करता हूँ। 2017 का सीआरआर नंबर 3592 शीर्षक **खट्टा सिंह बनाम सी.बी.आई. चंडीगढ़ और अन्य** और 2018 के सीआरआर नंबर 274 का शीर्षक **खट्टा सिंह बनाम सी.बी.आई.** है। चंडीगढ़ और अन्य, खट्टा सिंह द्वारा पसंद किए गए, जो एक के रूप में दिखाई दिए आरसी नंबर 8 और आरसी नंबर 10 में अभियोजन गवाह नंबर 31, सीबीआई बनाम बाबा द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए गुरमीत राम रहीम सिंह और अन्य विद्वान विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) हरियाणा, पंचकुला में दिनांक 25.09.2017 को आरसी-8(एस)/2003/सीबीआई/एससीबी/सीएचजी., दिनांक 09.12.2003 धारा

302/120 के अंतर्गत- बी/506 आईपीसी एवं आदेश दिनांक 06.01.2018 आरसी-10(एस)/2003/सीबीआई/एससीबी/सीएचजी में। दिनांक 24.07.2008 धारा 302/307/120-बी आईपीसी एवं धारा 25 एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 27, जिसमें दो अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत किये गये याचिकाकर्ता सीआरपीसी की धारा 311 के तहत। पी.सी. में उन्हें एक गवाह के रूप में वापस बुलाने के लिए मामला खारिज कर दिया गया।

(5) पक्षकारों के वकील ने दिए गए बयान को स्वीकार कर लिया है उपरोक्त दोनों मामलों में याचिकाकर्ता द्वारा यह सामान्य बात थी और, इसलिए, इन मामलों को एक साथ सुना जा सकता है और एक ही आदेश द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। इसलिए, पार्टियों के वकीलों ने अपने तर्कों को संबोधित किया है 2017 के आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 3592 द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया याचिकाकर्ता सीआरपीसी की धारा 311 के तहत समान तथ्यों, आधारों पर आधारित है और कारण और ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश भी इसी तरह लिखा गया है और समान कारणों पर आधारित है।

(6) संक्षेप में, याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन में बताया है कि वह वह डेरा सच्चा सौदा का पूर्व भक्त है और ड्राइवर के रूप में काम करता था जिस बस का इस्तेमाल बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह प्रतिवादी संख्या 1 बाहर यात्रा करने के लिए डेरा कर रहे थे (इसके बाद 'डेरा प्रमुख' के रूप में संदर्भित)- उसे अपराध घटित करने के बारे में व्यक्तिगत जानकारी है वे परिस्थितियाँ जिनके कारण रणजीत सिंह और राम की हत्या हुई चंदर छत्रपति, पत्रकार। द्वारा पारित आदेश के आधार पर 10.11.2003 को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में मामला भेजा गया जांच के लिए सी.बी.आई. 30.07.2007 को आरोप पत्र दाखिल किया गया। कथन याचिकाकर्ता का विवरण श्री द्वारा दर्ज किया गया था। एम.नारायणन, उप निरीक्षक पुलिस महानिदेशक, सीबीआई और मामले के मुख्य जांच अधिकारी डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 161 के तहत मामला दर्ज किया गया है। 21.06.2007 को. इसके बाद याचिकाकर्ता ने स्वेच्छा से अपना बयान दर्ज कराया धारा 164 सी.आर.पी.सी. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़ के समक्ष 22.06.2007.

(7) यह दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता अभियोजन पक्ष के रूप में उपस्थित हुआ 11.02.2012 को गवाही यानी लगभग पांच साल की अवधि के बाद लेकिन तब तक, डेरा प्रमुख होने के नाते बाबा गुरुमीत राम रहीम सिंह ने बड़ी संख्या

में लोगों का समर्थन हासिल किया था, सभी दलों के राजनीतिक नेताओं के साथ भक्तों का आना-जाना लगा रहता है डेरा. डेरा प्रमुख को उनके राजनीतिक और जन प्रभाव के कारण प्रदान किया गया था केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा सुरक्षा गार्ड पंजाब और हरियाणा, जिससे लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा हुई याचिकाकर्ता की तरह. इस प्रकार, वह सामने आकर सच नहीं बोल सका डेरा प्रमुख और अंदर मौजूद अन्य लोगों द्वारा की गई आपराधिक गतिविधियां और डेरा परिसर के बाहर. डेरा प्रमुख के कट्टर अनुयायी थे उसके आदेश पर मारने या मरने के लिए तैयार थे। ऐसा आरोप है कि सह-अभियुक्त ने ऐसा किया था उनके निर्देश पर काम किया और रणजीत सिंह और राम चंदर को मारने का आदेश दिया छत्रपति. असुरक्षा और खतरे की इस भावना के कारण, याचिकाकर्ता, जब अभियोजन गवाह के रूप में 11.02.2012 को ट्रायल कोर्ट के सामने पेश हुआ नंबर 31, उनके उस बयान से पलट गया जो उन्होंने सीबीआई को दिया था 21.06.2007 और धारा 164 सीआरपीसी के तहत उनके बयान से भी। दिनांक 22.06.2007. हालाँकि, डेरा प्रमुख की दोषसिद्धि और सजा के साथ 25.08.2017 को डेरे के अंदर साध्वियों के साथ बलात्कार का मामला और वह रहा अशांति और सार्वजनिक अव्यवस्था के बावजूद 20 साल की अवधि तक जेल में बंद रहे डेरा के अनुयायियों के कारण, याचिकाकर्ता को आत्मविश्वास और भावना प्राप्त हुई सुरक्षा की भावना ने, सामने सच बोलने की ताकत जुटा ली है अदालत। खतरा-मुक्त वातावरण के निर्माण पर, याचिकाकर्ता ने एक याचिका दायर की सीआरपीसी की धारा 311 के तहत आवेदन गवाह के रूप में उसे वापस बुलाने के लिए 14.09.2017. यह दावा किया गया कि मुकदमा अभी भी प्रगति पर था और नहीं अभियुक्त पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि यह पर्याप्त होगा यदि आवेदन स्वीकृत हो जाता है तो उसे जिरह करने का अवसर मिलेगा सीआरपीसी की धारा 311 के तहत कोर्ट के पास पर्याप्त शक्तियां हैं। पी.सी. किसी भी गवाह को वापस बुलाने के लिए परीक्षण के किसी भी चरण और किसी भी व्यक्ति की दोबारा जांच के लिए यदि उसका साक्ष्य आवश्यक है मामले का न्यायोचित निर्णय. यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता एक सामग्री है मामले के न्यायपूर्ण निर्णय के लिए गवाह और उसके साक्ष्य आवश्यक होंगे क्योंकि वह ख़त्म करने की साजिश के संबंध में प्रत्यक्ष जानकारी का गवाह है डेरा प्रमुख के आदेश पर रणजीत सिंह और राम चंदर छत्रपति बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ और मकसद का गवाह भी है उनके उन्मूलन का आदेश. इसलिए, याचिकाकर्ता को वापस बुलाया जाए गवाह मामले का न्यायपूर्ण निर्णय सुनिश्चित करेगा यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता एक महत्वपूर्ण गवाह है और मामले के उचित निर्णय

के लिए उसका साक्ष्य आवश्यक होगा क्योंकि वह ख़त्म करने की साजिश के संबंध में प्रत्यक्ष जानकारी का गवाह है डेरा प्रमुख के आदेश पर रणजीत सिंह और राम चंदर छत्रपति बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ और मकसद का गवाह भी है उनके उन्मूलन का आदेश. इसलिए, याचिकाकर्ता को वापस बुलाया जाए गवाह मामले का न्यायसंगत निर्णय सुनिश्चित करेगा यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता एक महत्वपूर्ण गवाह है और मामले के उचित निर्णय के लिए उसका साक्ष्य आवश्यक होगा क्योंकि वह ख़त्म करने की साजिश के संबंध में प्रत्यक्ष जानकारी का गवाह है डेरा प्रमुख के आदेश पर रणजीत सिंह और राम चंदर छत्रपति बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ और मकसद का गवाह भी है उनके उन्मूलन का आदेश. इसलिए, याचिकाकर्ता को वापस बुलाया जाए गवाह मामले का न्यायसंगत निर्णय सुनिश्चित करेगा।

(8) उक्त आवेदन का सी.बी.आई. द्वारा विरोध नहीं किया गया, जो कि है अभियोजन एजेंसी ने बल्कि यह दावा करते हुए उक्त आवेदन का समर्थन किया था प्रासंगिक के दौरान याचिकाकर्ता के मन में भय का माहौल था समय और अब जब वह इससे बाहर आ गया है और उसमें कोई देरी नहीं हुई है न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में, उसके साक्ष्य से न्यायसंगत निर्णय लेने में सुविधा होगी मामला।

(9) हालाँकि, उक्त आवेदन का अभियुक्त द्वारा विरोध किया गया था इस आधार पर कि आवेदन विचारणीय नहीं है क्योंकि वह ऐसा नहीं है शिकायतकर्ता न ही इसे विशेष लोक अभियोजक द्वारा अग्रेषित किया गया है सी.बी.आई. द्वारा निष्पादित महत्वपूर्ण दस्तावेजों को छुपाया गया है याचिकाकर्ता सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान देने से पहले। पी.सी. कौन याचिकाकर्ता द्वारा अब दिए गए आवेदन की सामग्री को गलत साबित करता है। यह दावा किया गया है कि घटना 10.07.2002 को हुई थी इसके बाद, पहली चार्जशीट दायर की गई जहां खट्टा सिंह, थे आवेदक-याचिकाकर्ता, गवाह के रूप में उपस्थित नहीं हुआ। हालाँकि, में पूरक चालान, जिसे डेरा प्रमुख की गलती मानते हुए तरजीह दी गई है अभियुक्त, याचिकाकर्ता को गवाह के रूप में उल्लेखित किया गया था। यह दावा किया गया है कि जबकि पीडब्लू-31 के रूप में अदालत में उपस्थित होकर, याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से प्रत्येक से इनकार किया है और 21.06.2007 को डीआइजी, सीबीआई को दिए गए उनके बयान का हर हिस्सा। यहां तक कि वह सीआरपीसी की धारा 161 के तहत बयान में निहित संस्करण की सत्यता से

इनकार करने की हद तक चले गए हैं। पी.सी. वह घोषित हो चुका है लोक अभियोजक द्वारा शत्रुतापूर्ण और कई तिथियों पर जांच की गई है यह लगभग एक महीने तक चलता रहा लेकिन उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की उसकी सारी सच्चाई को नकारते हुए उस पर धमकी या दबाव डाला जाता है पिछले बयानों में स्वेच्छा से विभिन्न दस्तावेज़ तैयार किए गए थे अदालत, जो उस पर दबाव डालने से संबंधित शिकायतें हैं अभियोग पक्ष। के रूप में उनकी जांच हुए लगभग पांच साल हो गए हैं गवाह और इसके अलावा, मामला अंतिम चरण में है जब बहस होती है बचाव पक्ष के साक्ष्यों के साथ ही निष्कर्ष भी निकाला जा रहा है इस समय एक आवेदन अभियुक्त के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। की ओर से किसी प्रयास के संबंध में कुछ भी नहीं बताया गया है याचिकाकर्ता को धमकी, भय या दबाव के संबंध में किसी प्राधिकारी से संपर्क करना होगा उसे न्यायालय में गवाही देने के लिए अभियुक्त द्वारा या उसकी ओर से। यह सम नहीं है बताया कि उन्हें किसने और कब धमकी दी थी। यह दावा किया गया है कि में मामले में, वर्तमान आवेदन की अनुमति दी जाती है, फिर डेनोवो ट्रायल होगा जिससे मामले को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया क्योंकि घटना वर्ष की है 2002 और मुकदमा 10 साल से अधिक समय से लंबित है, जो राशि होगी अभियुक्त को त्वरित सुनवाई के अधिकार से वंचित करना।

(10) पक्षों के वकील द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार करने पर, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने मुख्य रूप से याचिकाकर्ता की ओर से लगभग पांच साल की देरी के आधार पर क्रमशः 25.09.2017 और 06.01.2018 के आक्षेपित आदेशों के तहत आवेदन को खारिज कर दिया था और यह उल्लेख नहीं किया था कि कब अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था। और किसने या किसके कहने पर उसे धमकी दी थी। उन्होंने प्राधिकरण में कोई रिपोर्ट दर्ज कराने के संबंध में जिक्र नहीं किया है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि याचिकाकर्ता पांच साल से अधिक समय तक चुप रहा और त्वरित सुनवाई का पहलू प्राकृतिक दुर्घटना होगा जहां यह 10 साल से अधिक समय से लंबित है।

(11) याचिकाकर्ता के वकील ने आवेदन का उल्लेख किया है, जो याचिकाकर्ता द्वारा 2012 में न्यायालय में अपना साक्ष्य दर्ज करने के बाद अब न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के तथ्यों और कारणों को फिर से बताने के लिए दायर किया गया है। न्यायालय की शक्ति पर जोर देते हुए, जो सीआरपीसी की धारा 311 के तहत प्रदत्त है। गवाहों को वापस बुलाने के संबंध में उन्होंने दावा किया है कि

न्यायालय के पास व्यापक शक्तियाँ हैं। उन्होंने सीआरपीसी की धारा 311 के तहत अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया है, जिनमें से प्राथमिक है **मोहनलाल शामजी सोनी बनाम भारत संघ और दूसरा**, जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर कानून का सारांश दिया था। **मन्नान एसके और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य**, **जाहिरा हबीबुल्ला एच. शेख और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य**, के फैसले का भी संदर्भ दिया गया है। और इस न्यायालय की एकल पीठ का निर्णय **खुशविंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य**, जहां समान परिस्थितियों में धारा 311 सीआर के तहत एक आवेदन। पी.सी. गवाह को वापस बुलाने के लिए गवाह ने स्वयं यह दावा किया था कि उसे धमकाया गया था और झूठे साक्ष्य देने के लिए मजबूर किया गया था और कहा था कि धमकी देने वाले आरोपी की मृत्यु के कारण धमकी का अस्तित्व समाप्त हो गया है, यह कमियों को पूरा करने के समान नहीं होगा। एक अभियोजन मामला. याचिकाकर्ता के वकील का प्राथमिक जोर इस बात पर है कि आपराधिक न्यायालय पर जो कर्तव्य डाला गया है, वह सच्चाई का पता लगाना है और उस उद्देश्य के लिए, न्यायालय को इस तरह से प्रयोग करने के लिए व्यापक संभव शक्तियां दी गई हैं कि हित न्याय को हताहत होने की अनुमति नहीं है, जिसका अर्थ है कि यह केवल का कर्तव्य नहीं है न्यायालय को न्याय करना है लेकिन यह भी सुनिश्चित करना है कि न्याय हो रहा है। यह दावा किया गया है कि मार्गदर्शक सिद्धांत स्थिति की आवश्यकता और निष्पक्ष खेल और अच्छी समझ होगी जो मार्गदर्शन करेगा और इस निष्कर्ष पर पहुंचने में निर्धारक कारक होगा कि क्या मामले के उचित निर्णय के लिए साक्ष्य आवश्यक प्रतीत होता है, जाहिर है, आरोपी के हित को भी ध्यान में रखते हुए, ताकि उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों, विशेष रूप से खतरे की आशंका के मद्देनजर, उनका दावा है कि न्याय के हित में ट्रायल कोर्ट द्वारा आवेदन की अनुमति दी जानी चाहिए थी और इसलिए, विवादित आदेश रद्द किए जाने चाहिए।

(12) सीबीआई के विद्वान वकील ने वकील का समर्थन किया है याचिकाकर्ता ने निर्णयों पर भरोसा किया है, जैसा कि याचिकाकर्ता के वकील ने संदर्भित किया है और **राजाराम प्रसाद यादव बनाम बिहार राज्य और अन्य**, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का भी उल्लेख किया है। **ज़ाहिरा हबीबुल्लाह शेख और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य**, और **रतनलाल बनाम प्रह्लाद जाट और**

अन्य, 2017। उनका दावा है कि शक्ति सीआरपीसी की धारा 311 के तहत. पी.सी. अभियोजन या शिकायतकर्ता द्वारा कोई आवेदन दिए बिना न्यायालय द्वारा स्वयं ही इसका प्रयोग किया जा सकता है। क़ानून के प्रावधानों यानी धारा 311 सीआर के तहत प्रदान किए गए राइडर को छोड़कर न्यायालय को प्रदत्त विवेकाधिकार निरंकुश है। पी.सी., जो ऐसे सबूतों को संदर्भित करता है जो मामले के उचित निर्णय के लिए आवश्यक प्रतीत होते हैं। उनका तर्क है कि याचिकाकर्ता एक महत्वपूर्ण गवाह है और उसने ऐसा करने के कारणों पर प्रकाश डाला है पहले के मौकों पर अदालत के सामने गवाही दी गई थी और अब उक्त खतरा समाप्त हो गया है, वह अदालत के सामने सच्चाई सामने लाने के लिए तैयार हैं और इसलिए, वह प्रार्थना करते हैं कि याचिकाकर्ता के आवेदन को अनुमति दी जाए।

(13) दूसरी ओर, श्री विनोद घई, वरिष्ठ अधिवक्ता, जो प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से पेश हुए और श्री एस.के.गर्ग नरवाना, वरिष्ठ अधिवक्ता, जो प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से पेश हुए, ने उस रुख को दोहराया है, जो ट्रायल कोर्ट के समक्ष दलीलों में लिया गया है, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन में इस बात का कुछ भी उल्लेख नहीं किया है कि उन्हें किसने और कब धमकी दी थी. किसी विशिष्ट तिथि या घटना का उल्लेख नहीं किया गया है। आवेदन में केवल सामान्य दावे किए गए हैं जिन्हें इस निष्कर्ष पर पहुंचने का आधार नहीं बनाया जा सकता कि याचिकाकर्ता पर सच न बोलने के लिए कोई धमकी या दबाव था। उन्होंने ट्रायल कोर्ट में याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए सबूतों और जिरह का व्यापक संदर्भ दिया है ताकि यह दावा किया जा सके कि याचिकाकर्ता को वास्तव में कोई खतरा नहीं था और उसने अदालत के समक्ष स्वेच्छा से अपना बयान दिया था। सीबीआई के वकील ने गवाह की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के इरादे से कई तारीखों पर उससे लंबी जिरह की और उसका साक्ष्य 35 पृष्ठों का है। उनका दावा है कि न केवल सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपी का बयान दर्ज किया गया है। पी.सी. दर्ज किया जा चुका है लेकिन बचाव साक्ष्य भी समाप्त हो चुका है। उनका दावा है कि यदि वर्तमान आवेदन की अनुमति दी जाती है तो आरोपी के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा होगा और किसी भी मामले में, वे इस बात पर जोर देते हैं कि न्याय का हित आरोपी के पक्ष में है और न्यायालय को जो विवेकाधिकार प्रदान किया गया है, उसकी जरूरत है। न केवल अभियोजन पक्ष बल्कि अभियुक्तों के हित को ध्यान में रखते हुए न्यायसंगत और निष्पक्ष तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। वर्तमान आवेदन को अनुमति न देने के लिए मुकदमे में देरी को

भी एक आधार के रूप में बताया गया है क्योंकि कथित घटना 15 साल से अधिक पुरानी है और वर्तमान आवेदन को अनुमति देने से मुकदमे के समापन में और देरी होगी। अंत में, उन्होंने दावा किया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा 60 गवाहों की जांच की गई है और याचिकाकर्ता को छोड़कर, कोई अन्य गवाह मुकर नहीं गया है और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई खतरा था अन्यथा अन्य गवाहों को भी खतरा होता। अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया. इस आधार पर उनका तर्क है कि याचिकाकर्ता को कोई खतरा नहीं था, बल्कि, अब वह पलट गया है और सीआरपीसी की धारा 311 के तहत एक आवेदन दायर किया है, जिसे इतनी देर से और वह भी बिना किसी आधार के अनुमति नहीं दी जा सकती है। अपने दावे के समर्थन में, उन्होंने उन निर्णयों पर भरोसा किया है जिनका उल्लेख याचिकाकर्ता के वकील ने अन्य के अलावा किया है, जैसे मोहनलाल शामजी सोनी बनाम भारत संघ और दूसरा, राजाराम प्रसाद यादव बनाम बिहार राज्य और एक अन्य। मंजीत कौर और अन्य बनाम पंजाब राज्य, मन्नान एसके और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य, जाहिरा हबीबुल्ला एच. शेख और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य, हनुमान राम बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, जियान चंद और अन्य बनाम हरियाणा राज्य, वी.के.मिश्रा और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य, सी. मुनिअप्पन और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य, और श्रीमती मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक निर्णय। जैतून बनाम सलीमुद्दीन और अन्य, और खुशविंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य में इस न्यायालय की एकल पीठ का फैसला।

14) अन्य उत्तरदाताओं के वकील ने भी इस पर जोर दिया है आवेदन के तथ्यात्मक पहलुओं और गैर-रखरखाव को ध्यान में रखते हुए पुनरीक्षण याचिकाओं को खारिज करने की प्रार्थना की।

(15) मैंने वकील द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया है पार्टियों ने और उनकी सक्षम सहायता से, आक्षेपित आदेश और दस्तावेजों का अध्ययन किया है, जिन्हें रिकॉर्ड पर रखा गया है।

(16) उन शक्तियों को समझना, जो मुकदमे को दी गई हैं क़ानून के तहत न्यायालय, प्रावधान का संदर्भ स्वयं आवश्यक होगा। धारा 311 Cr. पी.सी. इस प्रकार पढ़ता है:-

> "311. महत्वपूर्ण गवाह को बुलाने या व्यक्ति की जांच करने की शक्ति उपस्थित। कोई भी न्यायालय, किसी भी जांच, मुकदमे या के किसी भी

चरण में इस संहिता के तहत अन्य कार्यवाही में किसी भी व्यक्ति को सम्मन किया जा सकता है उपस्थित किसी भी व्यक्ति की गवाही देना, या उसकी जाँच करना, हालाँकि नहीं गवाह के रूप में बुलाया जा सकता है, या किसी व्यक्ति को वापस बुलाया जा सकता है और उसकी दोबारा जांच की जा सकती है पहले ही जांच की जा चुकी है; और न्यायालय सम्मन करेगा और जांच करेगा या यदि ऐसे किसी व्यक्ति का साक्ष्य सामने आता है तो उसे वापस बुलाएं और दोबारा जांच करें मामले के उचित निर्णय के लिए यह आवश्यक है।"

(17) उपरोक्त अनुभाग को पढ़ने से पता चलेगा कि दो हैं इसमें भाग. पहला भाग मुख्य रूप से अनुमेय है, जो देता है न्यायालय को विवेकाधीन अधिकार, जो उसे संहिता के तहत जांच, परीक्षण या अन्य कार्यवाही के किसी भी चरण में अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम बनाता है। यह किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में बुला सकता है, उपस्थिति में किसी भी व्यक्ति की जांच कर सकता है, जिसे गवाह के रूप में भी नहीं बुलाया जा सकता है और पहले से ही जांच की गई किसी भी व्यक्ति को वापस बुला सकता है और दोबारा जांच कर सकता है। इस शक्ति को उस चरण में सेवा में लाया जा सकता है जब पार्टियों ने अपने साक्ष्य पेश करने के बाद उसे बंद कर दिया हो और तब भी उन्होंने अपनी अंतिम दलीलें पूरी कर ली थीं, जिसका अर्थ है कि न्यायालय के विवेक का प्रयोग इससे पहले किसी भी समय किया जा सकता है निर्णय की घोषणा. ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले भाग में इस्तेमाल किया गया शब्द 'हो सकता है' है। हालाँकि, पहले भाग के तहत उस विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दूसरा भाग न्यायालय को किसी भी व्यक्ति को बुलाने, जांच करने या वापस बुलाने या फिर से जांच करने के लिए बाध्य करता है, यदि न्यायालय की राय में, ऐसे व्यक्ति के साक्ष्य हैं मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है लेकिन इस शक्ति का प्रयोग निर्णय की अंतिम घोषणा से पहले भी किया जाना चाहिए। न्यायालय को जितना अधिक विवेकाधिकार दिया जाएगा, उसे उतना ही अधिक अनुशासन और सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी न्यायालय को ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते समय क़ानून के प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए।

(18) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, **मोहनलाल शामजी** के फैसले में सोनी केस (सुप्रा), जिस पर दोनों पक्षों द्वारा भरोसा किया गया है, धारा 311 सीआर के तहत

न्यायालय की शक्तियों से निपटने के दौरान पैरा 9, 10 और 18 में है। पी.सी., इस प्रकार मनाया गया:-

"9. 'किसी भी अदालत', 'किसी भी समय' जैसे शब्दों का प्रयोग चरण', या 'किसी भी जांच, परीक्षण या अन्य कार्यवाही का', 'कोई भी व्यक्ति' और 'ऐसा कोई भी व्यक्ति' इस अनुभाग में स्पष्ट रूप से वर्णित है यथासंभव व्यापक शब्दों में व्यक्त किया गया है और इसे सीमित नहीं किया गया है किसी भी तरह से न्यायालय का विवेक। हालाँकि, बहुत चौड़ाई विवेकाधीन शक्ति कोतदनुरूप सावधानी बरतने की आवश्यकता है न्याय की आवश्यकतानुसार इसे लागू किया जाना चाहिए न्यायिक रूप से सावधानीपूर्वक और लगातार प्रयोग किया गया संहिता के प्रावधान. अनुभाग का दूसरा भाग करता है किसी भी विवेकाधिकार की अनुमति नहीं देता लेकिन यह न्यायालय को बाध्य और बाध्य करता है यदि नए साक्ष्य प्राप्त करना न्यायसंगत निर्णय के लिए आवश्यक है तो उपरोक्त दो चरणों में से कोई एक कदम उठाना मामला।

10. साक्ष्य के कानून में यह एक प्रमुख नियम है कि सर्वोत्तम साबित करने के लिए उपलब्ध साक्ष्य न्यायालय के समक्ष लाए जाने चाहिए एक तथ्य या मुद्दे में बिंदु। लेकिन यह या तो के लिए छोड़ दिया गया है अभियोजन या बचाव पक्ष द्वारा अपना संबंधित मामला स्थापित करने के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध साक्ष्य जोड़ें और न्यायालय ऐसा नहीं कर रहा है संहिता के प्रावधानों के तहत किसी को बाध्य करने का अधिकार दिया गया है किसी विशेष की जांच करने के लिए अभियोजन या बचाव उनके पक्ष में गवाह या गवाह। फिर भी यदि इनमें से कोई भी पक्ष ऐसे किसी भी साक्ष्य को अपने पास रखते हैं जिसे प्रस्तुत किया जा सकता है और जो, यदि प्रस्तुत किया जाता है, तो रोक लगाने वाले पक्ष के प्रतिकूल होगा ऐसे साक्ष्य के तहत अदालत अनुमान लगा सकती है साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 का चित्रण (जी)। ऐसे में ऐसी स्थिति में एक प्रश्न विचारणीय उठता है कि क्या किसी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को केवल एक अंपायर के रूप में बैठना चाहिए दो पार्टियों के बीच प्रतियोगिता में और अंत में घोषणा करें मुकाबला कौन जीता और कौन हारा या क्या कोई कानूनी नहीं है सक्रिय भूमिका निभाना उसका अपना कर्तव्य है, पार्टियों से स्वतंत्र सत्य की खोज और प्रशासन में कार्यवाही में भूमिका न्याय? यह एक सर्वमान्य और स्थापित सिद्धांत है कि एक न्यायालय अपने वैधानिक कार्यों का निर्वहन

करना चाहिए -चाहे विवेकाधीन हो या न्याय देने में कानून के अनुसार अनिवार्य है क्योंकि यह है न्यायालय का कर्तव्य न केवल न्याय करना बल्कि उसे सुनिश्चित करना भी है न्याय हो रहा है. ताकि कोर्ट इसका पता लगा सके सच्चाई और न्यायसंगत निर्णय प्रस्तुत करना, संहिता की धारा 540 (नई संहिता की धारा 311) के हितकारी प्रावधान हैं किसी भी न्यायालय द्वारा अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए इसे अधिनियमित किया गया जांच, परीक्षण या अन्य कार्यवाही के किसी भी चरण में प्राधिकारी ऐसा कर सकता है किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में बुलाना या किसी व्यक्ति से पूछताछ करना हालांकि उपस्थिति को गवाह के रूप में नहीं बुलाया गया या वापस नहीं बुलाया गया या फिर से- उपस्थित किसी भी व्यक्ति की जांच करें, भले ही उसे बुलाया न गया हो पहले से जांचे गए किसी भी व्यक्ति की गवाही देना या उसे वापस बुलाना और दोबारा जांच करना जिनसे उम्मीद की जाती है कि वे इस मामले पर प्रकाश डालने में सक्षम होंगे विवाद; क्योंकि यदि निर्णय दिया जाना है तथ्यों की अचूक, अनिर्णायक और काल्पनिक प्रस्तुति न्याय का अंत पराजित हो जाएगा।

XXX XXX XXX XXX XXX

18. अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या धारा 540 देती है कोर्ट कार्टे-ब्लैंच में कोई अंतर्निहित सिद्धांत नहीं है असाधारण शक्ति का प्रयोग और क्या कहा गया अनुभाग अनिर्देशित, अनियंत्रित और नहर रहित है। यद्यपि धारा 540 (नई संहिता की धारा 311) सबसे व्यापक है संभावित शर्तों और कॉलों के संबंध में कोई सीमा नहीं है वह चरण जिस पर न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, या उस तरीके के संबंध में जिसमें उनका प्रयोग किया जाना चाहिए, वह शक्ति उस सिद्धांत से परिचालित है धारा 540 को रेखांकित करता है, अर्थात्, साक्ष्य प्राप्त किया जाना चाहिए मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है सभी वैध तरीकों से सत्य को प्राप्त करना। इसलिए, यह होना चाहिए यह ध्यान में रखें कि अनुभाग की सहायता ही ली जानी चाहिए मामले के उचित निर्णय के लिए प्रासंगिक तथ्यों की खोज करने या ऐसे तथ्यों का उचित प्रमाण प्राप्त करने के उद्देश्य से और यह होना ही चाहिए न्यायिक रूप से उपयोग किया जाता है न कि मनमाने ढंग से या मनमाने ढंग से क्योंकि कोई भी शक्ति का अनुचित या मनमौजी प्रयोग इसका कारण बन सकता है अवांछनीय परिणाम. इसके अलावा यह आवश्यक हैकि उचित

देखभाल की जानी चाहिए इसके तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायालय द्वारा लिया जाएगा अनुभाग और इसका उपयोग छोड़ी गई कमी को भरने के लिए नहीं किया जाना चाहिए अभियोजन या बचाव पक्ष द्वारा या के नुकसान के लिए अभियुक्त या बचाव पक्ष पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डालता है प्रतिद्वंदी पक्ष पर आरोप लगाना या अनुचित लाभ पहुंचाना और इसके अलावा अतिरिक्त साक्ष्य प्राप्त नहीं किया जाना चाहिए पुनः सुनवाई के लिए या मामले की प्रकृति को बदलने के लिए भेष बदलना दोनों में से कोई एक पक्ष।"

(19) न्यायालय विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करने के लिए आगे बढ़ा है और पैरा-27 में सिद्धांत को इस प्रकार सारांशित किया गया है:-

"27. विचारों से जो कानून का सिद्धांत निकलता है उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया है कि आपराधिक न्यायालय के पास किसी भी व्यक्ति को सम्मन करने की पर्याप्त शक्ति है ऐसे किसी भी व्यक्ति की गवाही देना या वापस बुलाना और पुनः परीक्षण करना, भले ही दोनों पक्षों के साक्ष्य बंद हैं और का अधिकार क्षेत्र है अदालत को स्पष्ट रूप से स्थिति की तात्कालिकता से निर्देशित होना चाहिए, और निष्पक्षता और अच्छी समझ ही एकमात्र सुरक्षित मार्गदर्शक प्रतीत होते हैं और यह कि केवल न्याय की आवश्यकताएं हीआदेश देती हैं किसी भी व्यक्ति की जांच जो तथ्यों पर निर्भर करेगी और प्रत्येक मामले की परिस्थितियाँ।

(20) यहां यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने **रामेश्वर दयाल बनाम यूपी राज्य**, 1978 (2) एससीसी 518 के फैसले पर भरोसा करते हुए निष्कर्ष निकाला है कि जहां आरोपी के खिलाफ कोई नया सबूत स्वीकार किया जाता है, तो आरोपी को उस सबूत को इस अधिकार के रूप में खारिज करने का अवसर दिया जाना चाहिए। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों में उत्कीर्ण है क्योंकि क़ानून ने न्यायालय को पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने की सभी शक्तियों से लैस किया है जो तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि दोनों पक्षों को ठीक से नहीं सुना जाता। ऑडी अल्टरम पार्टम के मैक्सिम को नई धारा 311 सीआर के तहत निहित प्रावधानों में उत्कीर्ण और अंतर्निहित करने की मांग की गई थी। पी.सी. इन सिद्धांतों को बाद के सभी निर्णयों में दोहराया गया है, जो बेशक, प्रत्येक मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों पर उन सिद्धांतों को लागू करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा पारित किया गया है।

(21) यहां यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने **जहीरा हबीबुल्ला एच. शेख और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य**[20], के पैरा-46 के मामले में देखा है कि यह अदालत का एक बाध्य कर्तव्य है कि वह इस पर विचार करे। सत्य पर और न्याय के अंत तक सेवा करो। सावधानी बरतते हुए कि संहिता की धारा 311 किसी भी पक्ष को किसी भी गवाह की जांच, जिरह और दोबारा जांच करने का अधिकार नहीं देती है और यह शक्ति केवल को दी गई है न्यायालय को न केवल किसी पक्ष या व्यक्ति के आदेश पर इसका प्रयोग करना आवश्यक है, बल्कि न्यायालय में प्रदत्त शक्ति और विवेक निहित है ताकि समाज, सार्वजनिक हित और न्याय के गर्भपात के लिए किसी भी अपूरणीय या अथाह क्षति को रोका जा सके। . न्यायालयों द्वारा इस धारा के तहत शक्तियों का सहारा केवल प्रासंगिक तथ्यों की खोज करने या ऐसे तथ्यों का उचित प्रमाण प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है जो मामले में उचित निर्णय पर पहुंचने के लिए आवश्यक हैं।

(22) इस प्रकार, यह न्यायालय का परम कर्तव्य है कि वह कानून लागू करके कदम उठाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सत्य उन प्रक्रियाओं के हाथों हताहत न हो जाए, जिन्हें बेड़ियों के रूप में पेश करने की कोशिश की जा रही है। , न्यायालय की विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए। हालाँकि, इस शक्ति का प्रयोग बहुत सावधानी और सावधानी से करना होगा।

(23) इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि व्यापक सिद्धांत रखे गए हैं क़ानून के अंतर्गत ही जिसे और अधिक विस्तृत किया गया है न्यायालयों द्वारा विभिन्न निर्णयों में मुख्य नियम के साथ समझाया गया है कि इन सिद्धांतों को प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर समान रूप से लागू किया जाएगा। न्यायालय की ऐसी विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग में कोई सामान्य सिद्धांत या नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है, सिवाय इसके कि न्यायालय के लिए एकमात्र मार्गदर्शक किसी मामले के उचित निर्णय पर पहुंचने का उद्देश्य होगा, जिसमें एक अतिरिक्त शर्त यह होगी कि साक्ष्य आवश्यक प्रतीत होता है। उक्त उद्देश्य के लिए. यदि न्यायालय इस निर्णय पर पहुंचता है कि मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए साक्ष्य आवश्यक है, तो न्यायालय बाध्य है ऐसे किसी भी व्यक्ति को बुलाना और उसकी जांच करना या वापस बुलाना और दोबारा जांच करना, चाहे वह गवाह हो या नहीं और पहले उसकी जांच की गई हो या नहीं और किसी भी व्यक्ति की जांच करना या वापस बुलाना, जिसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जो उपस्थित है।

(24) अब वर्तमान मामले पर आगे बढ़ते हुए, यह न्यायालय नहीं चाहेगा उन बयानों के संबंध में विवरण में जाना, जो याचिकाकर्ता द्वारा धारा 161 सीआर के तहत दर्ज किए गए हैं। पी.सी., 164 करोड़। पी.सी. और उसके साक्ष्य को न्यायालय द्वारा पीडब्लू-31 के रूप में दर्ज किया गया, विशेष रूप से इस तथ्य के आलोक में कि इस संबंध में इस स्तर पर इस न्यायालय द्वारा की गई कोई भी टिप्पणी ट्रायल कोर्ट के समक्ष लंबित निर्णय के परिणाम को प्रभावित कर सकती है। इसलिए, न्यायालय खुद को आवेदन की सीमा तक ही सीमित रखेगा, जिसे याचिकाकर्ता ने धारा 311 सीआर पी.सी. के तहत प्राथमिकता दी है।

(25) जहाँ तक अभियुक्त के वकील की पहली आपत्ति का प्रश्न है वर्तमान आवेदन, इस चरण में जब पक्षों के साक्ष्य समाप्त हो गए हैं, अभियुक्त का बचाव बेनकाब हो गया है और मामला बहस के चरण में है, यह कहना पर्याप्त है कि धारा की भाषा और कानून को ध्यान में रखते हुए, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है और ऊपर संदर्भित किया गया है, आवेदन निर्णय की घोषणा से पहले सुनवाई योग्य होगा। हालाँकि, यह एक अलग पहलू होगा कि प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उक्त आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार किया जाना है

(26) की आपत्ति के संबंध में भी यही स्थिति होगी अभियुक्त के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता का आवेदन विचारणीय नहीं होगा क्योंकि वह न तो शिकायतकर्ता है और न ही अभियोजन पक्ष द्वारा आवेदन दायर किया जा रहा है। जैसा कि प्रावधानों की भाषा से ही स्पष्ट है, यह न्यायालय का विवेक है कि वह दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में प्रयोग करे, चाहे साक्ष्य, जो उसे व्यक्ति या व्यक्तियों से प्राप्त होने की संभावना हो, जैसा कि इसके तहत प्रदान किया गया है। यह धारा स्वयं, मामले के उचित निर्णय के लिए आवश्यक होगी। यह न्यायालय के लिए स्वतंत्र है कि वह स्वत: संज्ञान लेकर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करे और जाहिर है, किसी भी तरह से स्रोत, न्यायालय को साक्ष्यों के बारे में अपनी संतुष्टि और मामले के निर्णय के लिए इसकी अनिवार्यता के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है, इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता है, यह किसी भी स्रोत से हो सकता है। न्यायालय का कर्तव्य है कि वह गवाह का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करे, चाहे वह अभियोजन के पक्ष में हो या विपक्ष में, क्योंकि न्यायालय का उद्देश्य न तो निर्दोष को दंडित करना है और न ही दोषियों को रोकना है, बल्कि कानून को सही ढंग से संचालित करना है। वकील केवल अपने मुवक्किल की सफलता चाहता है लेकिन न्यायाधीश को यह देखना चाहिए कि न्याय की जीत हो, जिसका अर्थ है कि धारा 311 सीआर के तहत अंतर्निहित प्रावधान

सर्वोपरि है। उचित प्रमाण खोजना या प्राप्त करना है न्याय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रासंगिक तथ्यों की।

(27) अभियुक्त के वकील का तर्क कि कोई विशेष बात नहीं दिनांक या घटना दी गई है कि याचिकाकर्ता को कब और किसने धमकी दी है, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि आवेदन ऐसे विवरणों से रहित है, हालांकि, कारण दिए गए हैं और बताया गया है कि याचिकाकर्ता क्यों असमर्थ था पहले न्यायालय का दरवाजा खटखटाना। अदालत उन दस्तावेजों पर टिप्पणी नहीं करना चाहेगी, जो याचिकाकर्ता द्वारा अदालत के समक्ष अपनी जिरह के दौरान पेश किए गए हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये विभिन्न प्राधिकारियों को संबोधित हैं, जो अभियोजन एजेंसी द्वारा याचिकाकर्ता पर किए गए दबाव और दबाव की ओर इशारा करते हैं। , यह पर्याप्त है यह कहने के लिए कि यदि याचिकाकर्ता को वास्तव में आरोपी से खतरा था, जैसा कि वह अब दावा करता है, तो ऐसे पत्र उसके आदेश पर और आरोपी के दबाव और धमकी के तहत लिखे गए हो सकते हैं। यह स्पष्ट और स्पष्ट है कि जब याचिकाकर्ता ने धारा 161 और 164 सीआरपीसी के तहत अपना बयान दिया। पी.सी., यह वर्ष 2007 में था, जबकि अदालत में उनका साक्ष्य लगभग पांच वर्षों की अवधि के बाद फरवरी, 2012 में दर्ज किया गया था, इस अवधि के दौरान, यह दावा किया गया है कि डेरा एक उच्च प्रोफ़ाइल वाले डेरा के रूप में समृद्ध हुआ। अंध शिष्यों की एक बड़ी संख्या, जो डेरा प्रमुख की सनक और पसंद के अनुसार कार्य करते थे। अब तक डेरा प्रमुख ने राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रभाव जमा लिया था, जहां लगभग सभी राजनीतिक दलों के नेता अक्सर डेरा प्रमुख के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए डेरा का दौरा करते थे क्योंकि वह अपने लिए एक कानून बन गए थे, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि दावे के अनुसार, केंद्र सरकार और पंजाब और हरियाणा राज्यों की सरकारों द्वारा उन्हें सुरक्षा गार्ड प्रदान किए गए थे। इसके साथ ही राजनीतिक प्रभाव, प्रभाव और वित्तीय वृद्धि हुई। याचिकाकर्ता जैसी ताकत, लोगों में असुरक्षा की भावना नहीं हो सकती खारिज कर दिया गया है और, इन परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता बदली हुई परिस्थितियों से प्रभावित नहीं हुआ होगा, खासकर तब जब डेरा प्रमुख के पास समर्पित अनुयायी थे जो उसके आदेश पर मारेंगे या मर जाएंगे, जो कि परिलक्षित होता है। याचिकाकर्ता, रणजीत सिंह और राम चंदर छत्रपति की हत्या पर, जिसका वह गवाह है। इसमें कोई संदेह नहीं कि डेरे में साध्वियों के साथ बलात्कार के मामले में डेरा प्रमुख को दोषी ठहराए जाने के बाद व्यापक हिंसा फैल गई। पंजाब और हरियाणा राज्यों में डेरा प्रमुख को सजा के अनुसार 20 साल तक

जेल में रखने के बाद बड़ी कोशिशों और मुश्किलों से इस पर काबू पाया गया, जिससे याचिकाकर्ता ने राहत की सांस ली होगी।

(28) यहां यह जिक्र करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि डेरा प्रमुख 25.08.2017 को दोषी ठहराया गया और धारा 311 सीआरपीसी के तहत आवेदन दिया गया। पी.सी. याचिकाकर्ता द्वारा 14.09.2017 को प्राथमिकता दी गई है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत का दरवाजा खटखटाने में कोई देरी नहीं हुई है, उनके अनुसार, खतरा समाप्त हो गया है। वर्तमान मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों और दलीलों के आलोक में, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता मौजूदा परिस्थितियों से प्रभावित नहीं था।

(29) के मामले में इस न्यायालय के फैसले का संदर्भ खुशविंदर सिंह (सुप्रा) को इस स्तर पर इस मामले में भी बनाया जा सकता है, पहले अभियोजन पक्ष के गवाह अदालत में मुकर गए और अभियोजन का समर्थन नहीं किया, हालांकि, बाद में, आरोपी की मृत्यु के बाद, जिसने उन्हें धमकी दी थी, एक आवेदन दायर किया गया था उन्होंने इस दलील पर दोबारा जांच की प्रार्थना की कि उन्हें आरोपियों में से एक से खतरा था और इसलिए, उन्होंने सच नहीं बोला। हालांकि, आरोपियों की मौत से उनमें सच बोलने की हिम्मत आई है। कोर्ट ने आरोपी के इस रुख को खारिज करते हुए उक्त याचिका को स्वीकार कर लिया संहिता की धारा 311 के तहत एक आवेदन की अनुमति देने का मतलब अभियोजन मामले में खामियों को भरना होगा, जिससे आरोपी के खिलाफ एक बिल्कुल नया मामला बन जाएगा। न्यायालय ने जाहिरा हबीबुल्ला एच. शेख (सुप्रा) के मामले पर भरोसा करते हुए कहा था कि न्याय वितरण प्रणाली का उद्देश्य न्याय प्रदान करना और दोषियों को दोषी ठहराना और निर्दोषों की रक्षा करना है। मुकदमा सत्य की खोज होना चाहिए न कि तकनीकी पेचीदगियों से जूझना चाहिए, और ऐसे नियमों के तहत चलाया जाना चाहिए जिससे निर्दोषों की रक्षा हो सके और दंडित किया जा सके। अपराधी। न्यायालय ने आगे कहा था कि गवाह न्याय की आंखें और कान होते हैं और यदि गवाह स्वयं न्याय की आंख और कान के रूप में कार्य करने में असमर्थ है, तो मुकदमा ख़राब और पंगु हो जाता है और यह अब निष्पक्ष सुनवाई नहीं कर सकता है। अक्षमता कई कारकों के कारण हो सकती है जैसे गवाह का नियंत्रण से परे कारणों से अदालत में सच बोलने की स्थिति में न होना या लापरवाही के कारण या धमकी या अज्ञानता या कुछ भ्रष्ट मिलीभगत के कारण। उक्त निर्णय, सिद्धांतों के आधार पर, वर्तमान मामले के तथ्यों पर भी लागू होगा खैर, याचिकाकर्ता को उन परिस्थितियों और स्थिति के कारण सच

बोलने का कोई अवसर नहीं मिला, जिसमें उसे सच बोलने के लिए अपने नियंत्रण से परे रखा गया था।

(30) प्रतिवादी-अभियुक्त के वकील का दावा कि अभियुक्तों के प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न होगा क्योंकि उन्होंने बचाव का खुलासा किया है, यह कहना पर्याप्त होगा कि उनके पास वापस बुलाए गए गवाह से जिरह करने के पर्याप्त अवसर होंगे। यहां यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए पहले के बयान अभी भी रिकॉर्ड पर उपलब्ध होंगे और ट्रायल कोर्ट पहले से ही रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर मामले का फैसला करने के लिए खुला होगा। अतिरिक्त साक्ष्य, जो याचिकाकर्ता की दोबारा जांच पर दर्ज किए जाएंगे।

(31) विचारण न्यायालय, आक्षेपित आदेश पारित करते समय ऐसा प्रतीत होता है इस तथ्य से अत्यधिक प्रभावित हुए हैं कि मुकदमा पुराना है और वर्तमान आवेदन को अनुमति देने से मुकदमे में और देरी होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि त्वरित सुनवाई हर उस व्यक्ति का अधिकार है जो पीड़ित है या आरोपी है और जो मामले में रुचि रखता है, लेकिन केवल देरी के कारण न्याय को हताहत नहीं बनाया जाना चाहिए। न्यायालय का प्राथमिक उद्देश्य और उद्देश्य न्याय करना है अर्थात दोषियों को दंडित करना और निर्दोषों की रक्षा करना है, जो अंततः साक्ष्य पर निर्भर करता है।

(32) वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने पर, इस न्यायालय की राय है कि मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए याचिकाकर्ता का साक्ष्य आवश्यक है और इसलिए, आवेदन उसमें उल्लिखित कारणों से स्वीकार किए जाने योग्य है। क्योंकि सत्य की ही जीत होनी चाहिए।

(33) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इन पुनरीक्षण याचिकाओं को अनुमति दी जाती है। पंचकुला में विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) हरियाणा द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.09.2017 और 06.01.2018 को रद्द कर दिया गया है। याचिकाकर्ता-खट्टा सिंह द्वारा सीआरपीसी की धारा 311 के तहत आवेदन दायर किए गए। पी.सी. अनुमति दी जाती है

<u>सीआरएम-33766-2017</u>

(34) आवेदक-प्रतिवादी संख्या 6 पहले अपने उपचार का लाभ उठा सकता है उचित मंच पर उचित मंच। इस आवेदन में अभी कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

<u>सीआरएम-31645-2017</u>

(35) मुख्य याचिकाओं के निस्तारण के दृष्टिगत यह प्रार्थना पत्र निस्तारण किया जाता है

अस्विकरण- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उदेश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी वयावहारिक और अधिकारिक उदेश्यके लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रारंभिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुकत रहेगा।

रघवीर सिंह ट्रांस्लेटर